

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- सोनडी
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र सांवलराम जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. अनुसईया पुत्री हंसराज जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. दर्शना पुत्री हंसराज जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. रामेश्वरलाल पुत्र सावलराम जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
5. सतपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
6. प्रियंका पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
7. लालचन्द पुत्र सांवलराम जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
8. विजय पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
9. सुनीता पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नेरन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 10.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 741/440 के खसरा न0 765 की 1.6690हैक् खसरा न0 766 की 11.5480हैक् भूमि जिसके पूर्व में वादी के दादा सावलराम खातेदार काश्तकार थे। वादी के दादा सांवलराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से उनके पाचों पुत्रों पर औद हुई एक पुत्र अनतराम फोट होने पर इनके हिस्से की भूमि उनकी पत्नि के नाम से दर्ज है वाद भूमि में हंसराज, रामेश्वरलाल , लालचन्द सयुक्त तौर 1/5 -1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है इनके नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से दर्ज होने के कारण उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 4 ता 6 , 7 ता 9 जो वादी की बहने/पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 8 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार कर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से उनके पांच पुत्रों पर औद हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 4, 7 के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 बराबर के हकदार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 4 ता 6 , 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 8 के पक्ष में त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 , 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तु रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हंसराज , प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वरलाल , प्रतिवादी संख्या 8 लालचन्द के नाम से दर्ज है। वादी का कथन है की वाद भूमि पैतृक सम्पति है पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जिसके कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 4 ता 6 , 7 ता 9 ने अपने हकों का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 5 , 8 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं

प्रतिवादी संख्या 5, 8 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 4 ता 6, 7 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि में अन्होंने अपने हकों का त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5, 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों की ताईद में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति होने से वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 741/440 के खसरा न0 765 की 1.6690 हैक् एवं खसरा न0 766 की 11.5480 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 4, 7 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी का 1/5 हिस्सा ; प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

S. Zaidi
शिविर प्रभारि

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-सोनडी

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

- 1 हंसराज पुत्र सांवलराम जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. अनुसईया पुत्री हंसराज जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. दर्शना पुत्री हंसराज जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. रामेश्वरलाल पुत्र सावलराम जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
5. सतपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
6. प्रियंका पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
7. लालचन्द पुत्र सांवलराम जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
8. विजय पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
9. सुनीता पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक-10.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज

अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 741/440 के खसरा न0 765 की 1.6690हैक एवं खसरा न0 766 की 11.5480हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,7 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी का 1/5 हिस्सा ; प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 8 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाच हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार

- 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-सोनडी